न्यायालय जिला कलक्टर, बालोतरा

पीठासीन अधिकारी : सुशील कुमार, आइ0ए0एस0

पंचायत निगरानी प्रार्थना पत्र सं. 48 / 2023

प्रार्थी–	*बनाम*	अप्रार्थीगण–
दौलाराम पुत्र देरामजी जाति माली, निवासी समदड़ी, तहसील सिवाना, जिला बालोतरा।		1. सरपंच, ग्राम पंचायत समदड़ी पंचायत समिति समदड़ी, जिला बालोतरा 2. श्रीमती संतोष पत्नी रमेश कुमार प्रजापत, निवासी सिवाना,तहसील समदड़ी, जिला बालोतरा।

निगरानी प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध पट्टा संख्या 56 दिनांक 18.12.2009 जो अप्रार्थी सं. 2 के नाम ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी किया गया।

उपस्थिति :–

1. श्री चन्द्र प्रकाश गुप्ता, अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से उपस्थित।
2. श्री नरपत सिहं भाटी, अधिवक्ता अप्रार्थी सं. 2 की ओर से अनुपस्थित।
3. अप्रार्थी सं. 1 बावजूद नोटिस तामील अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांक : 03.04.2024

1. प्रार्थी की ओर से यह निगरानी प्रार्थना पत्र ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा जारी पट्टा संख्या 56 दिनांक 18.12.2009 के विरूद्ध दिनांक 23.03.2022 न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर एवं दिनांक 01.11.2023 को इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत निगरानी प्रार्थना–पत्र के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि अप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 के पक्ष में राजस्थान पंचायतीराज नियम, 1996 के नियम 157(2) के तहत ग्राम समदड़ी में ग्राम पंचायत की आबादी भूमि का पट्टा संख्या 56 दिनांक 18.12.2009 जारी किया गया। उक्त पट्टे को जारी करने में राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के प्रावधानों की पालना नहीं किये जाने से उक्त पट्टे की सत्यता, अवैधानिकता, अनियमितता एवं अपूर्णता के पहलू की जांच करते हुए अपास्त करने हेतु यह निगरानी प्रार्थना पत्र इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

जिला कलक्टर
बालोतरा

3. प्रार्थी की निगरानी दर्ज रजिस्टर होकर विप्रार्थीगण को जवाब एवं सुनवाई का अवसर प्रदान करने हेतु जरिये नोटिस तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय ग्राम पंचायत समदड़ी से निगरानीधीन अभिलेख मंगवाया जाकर अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया है कि प्रार्थी के स्वामित्व एवं आधिपत्य का एक भूखण्ड मय मकान ग्राम समदड़ी तहसील सिवाना के पड़ौस व नाप उत्तर भुजा 21 फीट, दक्षिण भूजा 53 फीट, पूर्व की भुजा 83 फीट एवं पश्चिम की भुजा 68 फीट है, पड़ौस बदिशा उत्तर में विशनाराम पुत्र तुलसाराम सुथार, बदिशा दक्षिण में गली, बदिशा पूर्व में–जोगाराम जीवाणी, रमेश कुमार प्रजापत व दरवाजा, बदिशा पश्चिम में विशनाराम पुत्र दौलाराम माली है। उपरोक्त भूखण्ड पर प्रार्थी का पुराना कब्जा एवं रहवास होने के कारण ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा दिनांक 14.05.2012 को नियमानुसार प्रार्थी निगरानीकर्ता के भूखण्ड का पट्टा संख्या 358 जारी किया गया था जो पट्टा पूर्ण रूप से विधिनुसार जारी किया गया था। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी के मकान के पूर्व में स्थित भूखण्ड को श्री नारायणराम पुत्र गलबाराम जाति नाई निवासी समदड़ी से दिनांक 10.04.2008 को बाजाब्ता रजिस्टर्ड बेचान से क्रय किया तत्पश्चात अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के यहां वादग्रस्त भूखण्ड का पट्टा लेने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 को दिनांक 18.12.2009 को पट्टा संख्या 56 जारी किया गया जो खारिज योग्य है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पास अपने भूखण्ड 30 गुणा 45 फुट कुल 1350 वर्गफुट भूमि का ही पट्टा प्राप्त किया जा सकता था, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा 1500 वर्गफुट भूमि का पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है, जबकि अप्रार्थी संख्या 2 का वादग्रस्त भूमि पर मात्र 1350 वर्गफुट पर ही कब्जा था। ऐसी स्थित में अप्रार्थी संख्या 2 के कब्जे से अधिक की भूमि का पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने भूखण्ड का जो पट्टा लेने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया उसमें ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा जो मौके का नक्शा बनाये गये है, उन सभी नक्शों में भिन्नता है तथा उन नक्शों में कांटछांट भी की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 का भूखण्ड खसरा नंबर 752/342 में अवस्थित है लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पटवारी हल्का से जो रिपोर्ट मंगवाई है उसमें पटवारी हल्का द्वारा उक्त भूखण्ड खसरा नंबर 701/342 में होना बताया है जो कि मौके से भिन्न होने से उक्त आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

5. प्रार्थी के अधिवक्ता ने दौराने बहस यह भी कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अपने कार्यालय की पत्रावली में जो पट्टा पत्रवाली तैयार की गई है उसमें बयान फार्म, सरबरक बिल्कुल खाली है। उसमें केवल सरपंच के ही

जिला कलक्टर
बालोतरा

खाली प्रिन्टेड प्रपत्र पर हस्ताक्षर किय हुए है, जिससे यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पट्टा जारी करने से पूर्व पत्रवाली का पूर्ण अवलोकन किये बिना ही आनन फानन में उक्त पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा पट्टा आवेदन पत्र के साथ अपने व अपने गवाहान के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है, जिसमें अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा अपने शपथ पत्र में वादग्रस्त भूखण्ड पर उसका पुराना पीढीयों का कब्जा होने का तथ्य अंकित किया गया है, लेकिन अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा उक्त भूखण्ड को दिनांक 2008 में ही खरीदा है। अप्रार्थी संख्या 1 के यहां पर पट्टा लेने हेतु अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था, उस अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 से पट्टा शुल्क की राशि अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में जमा करवानी थी, लेकिन अप्रार्थी संख्या 1 द्वारापट्टा फीस की राशि न लेकर विकास शुल्क लिया गया है इस प्रकार भी उक्त पट्टा शुक्ल के अभाव में उक्त पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है। विवादित भूखण्ड का पट्टा नियम 157 ख के तहत जारी किया जाना बताया गया है। नियम 157 ख में केवल पुराने गृहो का विनियमितिकरण के संबंध में ही पट्टा जारी किया जा सकता है, लेकिन वादग्रस्त भूखण्ड पर अप्रार्थी संख्या 2 का पीढीयों का कब्जा न होकर उसका खरीद सुदा है। हस्तगत प्रकरण में आलोच्य पट्टा न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों की घोर अवहेलना करते हुए जारी किया गया है, जिसे भी आलोच्य पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

6. हमने पत्रावली में बहस सुनी, बहस उपरांत पत्रावली का अवलोकन किया एवं मनन किया गया तथा अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों एवं उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने पर पाया कि पत्रावली में उपलब्ध मिसल प्रार्थना पत्र में अप्रार्थी 2 द्वारा 1500 वर्गफीट का आवेदन किया गया है, जबकि अप्रार्थी 02 ने 08.04.2008 को बैचान नामा में 1350 वर्गफीट अंकित है एवं आलौच्य पट्टा संख्या 56 दिनांक 18.12.2009 में 1440 वर्गफीट अंकित किया गया है। अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा अप्रार्थी 2 के पक्ष में आलोच्य पट्टा जारी किया है जिसमें पंचायतीराज अधिनियम 148 के तहत आबादी भूमि के प्रस्तावित विक्रय के संबंध में आपतियां आमंत्रित की जाती है, जबकि अप्रार्थी 1 ने आपतियां आमन्त्रित नहीं की गई और प्रपत्र संख्या 22 में सभी कॉलम भी रिक्त है। उक्त विवादित भूखण्ड की पंचायत समिति समदड़ी द्वारा दिनांक 16.12.2021 को मौका स्थल की जांच करवाई गई जिस पर अतिरिक्त विकास अधिकारी एवं सहायक विकास अधिकारी नें मौका स्थल की जांच कर उक्त पट्टा 157 के तहत बनवाया गया है, पट्टा नियम विरूद्ध है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत की पत्रावली में संलग्न मिसल में किसी भी तरह की दिनांक अंकित नहीं है एवं समस्त नक्शें में भी कांट–छांट, ऑवर राईटिंग की हुई है, जिस पर किसी के प्रति हस्ताक्षर भी नहीं है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत की प्रत्रावली में निरीक्षण प्रपत्र में न तो पट्टा मिसल

जिला कलक्टर
बालोतरा

संख्या व दिनांक अंकित है और न ही आलोच्य भूखण्ड का क्षेत्रफल व नाप अंकित किया गया है। साथ ही अधिनस्थ ग्राम पंचायत की आलोच्य पट्टा से संबंधित संपूर्ण आदेशिका में कहीं पर भी दिनांक अंकित नहीं है। कार्यालय ग्राम पंचायत समदड़ी के कमांक 2021–22 दिनांक 06.12.2021 के अनुसार अप्रार्थी संख्या 2 के नाम जारी पट्टा संख्या 56 बुक संख्या 2 से संबंधित रेकर्ड ग्राम पंचायत में उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रमाणित प्रतिलिपि नहीं दी जा सकती है। अलावा इसके आलोच्य पटटा विप्रार्थी संख्या 2 के नाम पर जारी किया जाना बताया है, जिस पर 100 वर्ष से विप्रार्थी संख्या 2 का कब्जा होना बताया है, जबकि विप्रार्थी संख्या 2 ने वर्ष 08.04.2009 को बेचान नामा में क्रय किया गया है। जिससे पंचायतीराज नियमों के तहत कब्जे अवधी स्पष्टता प्रमाणित नहीं होती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा पुराने कब्जे के नियमितीकरण हेतु विहित प्रावधानों एवं प्रक्रिया का पालन किये बिना अनियमित एवं अपूर्णय कार्यवाही द्वारा आलौच्य पट्टा जारी किया गया हैं जो बहाल रखे जाने योग्य नहीं हैं। इस प्रकार अधिनस्थ ग्राम पंचायत अप्रार्थी संख्या 1 ने राजस्थान पंचायतीराज नियमों में प्रावधित प्रावधानों के विपरित जाकर तथा अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आलोच्य पटटा संख्या 56 दिनांक 18.12.2009 को जारी किया है, अपास्त योग्य पाया जाता है।

7. अतः उपरोक्त समस्त विवेचन एवं विश्लेषण से निगरानीकर्ता की और से प्रस्तुत निगरानी स्वीकर कर अप्रार्थी संख्या 1 सरपंच ग्राम पंचायत समदड़ी द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 संतोष देवी के नाम जारी पटटा संख्या 56 दिनांक 18.12.2009 को जारी किया गया को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 में प्रावधित विधिक प्रावधानों के विपरित होने से पट्टा निरस्त किया जाता है। अधिनस्थ ग्राम पंचायत का विलेख निर्णय की प्रति के साथ अविलम्ब प्रेषित हो।
8. निर्णय आज दिनांक 03.04.2024 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुशील कुमार यादव)
जिला कलक्टर, बालोतरा
जिला कलक्टर
बालोतरा